



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937

No. 22]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 22(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से, अखिल भारतीय सेवाएं (संयुक्त संवर्ग) नियमावली, 1972 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,-

1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (संयुक्त संवर्ग) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (संयुक्त संवर्ग) नियमावली, 1972 के नियम 4 में, उप नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(2) संवैधानिक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि, जिन्हें ऐसे राज्यों की सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होंगे।”

(फा.सं.11033/2/2012-अ.भा.से.-II)

राजीव जैन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में 1972 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2016

G.S.R. 22(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, further to amend the All India Services (Joint Cadre) Rules, 1972, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the All India Services (Joint Cadre) Amendment Rules, 2016
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 4 of the All India Services (Joint Cadre) Rules, 1972, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The representatives of the Governments of the Constituent States, as specified by the Governments of such States, shall be members of an All India Service.”

[F. No. 11033/2/2012-AIS-II]

RAJIV JAIN, Under Secy.

Foot Note.- The principal rules were published in the Gazette of India in 1972.